राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

पीठासीन अधिकारी – सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र सं. 166/2023 जीसीएमएस नम्बर–2023/702

मनोहरी देवी पुत्री नौरंग नवीरा हबदा जाति जाट निवासी घरडाना खुर्द तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0

.....प्रार्थीया

ब–ना–म

1. विजयसिंह पुत्र नौरंग नवीरा बहदा जाति जाट निवासी घरडाना खुर्द तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. श्री अशोक यादव – प्रार्थीया की ओर से
2. श्री महाबीर प्रसाद – अप्रार्थी सं. 1 की ओर से

:: निर्णय ::

दिनांक :– 01-09-23

प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम घरडाना खुर्द तहसील बुहाना में स्थित कृषि भूमि जमाबन्दी संवत् 2075–2078 के खाता सं. 122 के खसरा नंबर 277 रकबा 5.40 है., ख.नं. 775 रकबा 1.92 है., ख.नं. 776 रकबा 2.15 है. कुल किता 3 कुल रकबा 9.47 है. के खातेदार प्रार्थीया व अप्रार्थीगण काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसमें प्रार्थीया का भाग 1/50 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। विवादित वाद वर्णित भूमि पर खातेदार काश्तकार अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। विवादित भूमि का खातेदार काश्तकारों ने बाहमी बंटवारा कर रखा है तथा उक्त बाहमी बंटवारा के मुताबिक सभी काश्तकार अपने–अपने हिस्से पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त हैं। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा विवादित भूमि वादिया के हिस्से की कृषि भूमि पर जबरन कब्जा कर मकान निर्माण कर राहा है जिससे वादिया अपने खेत को काश्त करने से वंचित हो जायेगी जिससे वादिया को भारी परेशानी होगी। अगर प्रतिवादी सं. 1 वादिया के हिस्से के कब्जे की भूमिपर जबरन लठ के बल पर कब्जा कर मकान बना लेते हैं तो वादीया को ऐसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.09.22 12:32:27 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

अपूर्तनीय क्षति होगी जिसका मुद्रा में मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। प्रार्थीया का यह प्रथम दृष्टया मामला है व सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाके ग्राम घरडाना खुर्द में स्थित कृषि भूमि के खाता सं. 122 के खसरा नंबर 277 रकबा 5.40 है., ख.नं. 775 रकबा 1.92 है., ख. नं. 776 रकबा 2.15 है. कुल किता 3 कुल रकबा 9.47 है. में प्रार्थीया का भाग 1/50 हिससे की कब्जे शुदा भूमि में अप्रार्थीगण जबरन लठ के बल पर किसी भी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं करें तथा ऐसा कार्य ना स्वयं करें, ना ही अपने किसी मित्रों, रिश्तेदारों, परिवारजनों से करावे तथा अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि उक्त विवादित वाद वर्णित भूमि में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी सं. 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को अस्वीकार कर अपने जवाब में कथन किया है कि वाद वर्णित भूमि में आवेदिका का 1/50 हिस्सा दर्ज होना स्वीकार है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि ग्राम घरडाना खुर्द स्थित भूमि हाल खसरा नंबर 277 रकबा 5.44 है., ख.नं. 775 रकबा 1.92 है., ख.नं. 776 रकबा 2.25 है. कुल किता 3 कुलरकबा 9.47 है. में अनावेदक सं. 1 का भी 1/50 हिस्सा दर्ज रिकार्ड जिसका खाता सामलाती है। उक्त भूमि का बाहमी बंटवारा व अनावेदक सं. 1 अपने हिस्से 1/50 में आई भूमि पर काबिज काश्त है और बाहमी बंटवारे में आई 1/50 भाग की भूमि में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत राजस्थान सरकार से लाभान्वित होकर लगभग 2017 में अपने रिहायशी मकान बनाकर आबाद है। उक्त मकानात से आवेदिका का कोई सम्बंध सरोका नहीं है। अब अनावेदक सं. 1 अपने इन्दिरा आवास में बने मकानात जो अधुरे बने थे उन्हीं मकानात की पूर्व में रखी नींव पर ही बरामदा व बैठक का निर्माण बाहमी बंटवारे में आये अपने हिस्से में कर रहा है जिसका उसे कानूनी अधिकार है। अनावेदक सं. 1 उपरोक्त भूमि के उतर व पश्चिम की ओर अपने हिस्से में निर्माण कार्य कर रहा है। आवेदिका का आवेदन पत्र मय हर्जे खर्चे के खारिज किया जावे।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत् 2075–2078 खाता सं. 122 में प्रार्थीया व अप्रार्थी सं. 1 का 1/50–1/50 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है तथा उक्त भूमि में प्रार्थीया व अप्रार्थी सं. 1 के अलावा भी अन्य सह–खातेदारान दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीया ने उक्त प्रार्थना पत्र के जरिये केवल अप्रार्थी सं.

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.09.22 12:32:47 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं (राज.)

1 के विरूद्ध ही अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है। उक्त वादग्रस्त भूमि का विधिवत् रूप से खाता विभाजन नहीं हुआ है, अर्थात् अविभाजित भूमि में प्रत्येक सहखातेदारान का कानूनन प्रत्येक इंच पर समान अधिकार होता है। उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि में प्रार्थीया की कब्जे काश्त की स्थिति स्पष्ट नहीं है। वाद में वर्णित अनुतोष का निर्धारण विस्तृत साक्ष्य एवं रिकॉर्ड के आधार पर किया जाना उचित होगा। इस प्रकार प्रार्थना पत्र में विचारणीय बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीया के पक्ष में साबित नहीं होते हैं। अप्रार्थी सं. 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं हो रहा है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,बुहाना

01-09-23 निर्णय आज दिनांक .....को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,बुहाना

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.09.22 12:32:27 IST
Reason: SelfAttested